

निर्वाण- 29-08-2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/86

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
बलजिन्द्र बनाम स्टेट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 174 वर्ष 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही गय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 03.05.2024 | <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 08.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">or 7</p> | |
| 05.05.2024 | <p>कुलाए फरिदोन उपस्थित/PU माहक अख्तियार पत्रावली है। पत्रावली पूरक दिनांक माहक 07.05.2024 क पेश हो</p> | |
| 07.05.2024 | <p>कुलाए फरिदोन उपस्थित/PU माहक अख्तियार पत्रावली है। पत्रावली पूरक दिनांक माहक 19.08.2024 क पेश हो</p> | |
| 29.8.2024 | <p>कुलाए फरिदोन उपस्थित। स्टेट जजकाव द्वारा हुकम वदत धुमी गर्क। पत्रावली का अख्तियार पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व वदतिलदात खबरत रिपोर्ट के आधार काद कडी डिडी डिपा जाहा है। पूर्ण विवरण सहित निर्वाण अलग से निवाण जाकर शाखिल फर्दल डिपा जाये। पत्रावली गम्मत से क्रम की जाकर काउ लखीक लकगील जाया दाखिल हुकम हो।</p> <p style="text-align: right;">or 7</p> | |



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 174/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
बलजिन्द्रसिंह पुत्र राधासिंह जाति बाजीगर निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम
तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 29.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 2 एस.पी.एम के जमाबन्दी खाता संख्या 28/26 के पत्थर नम्बर 218/412(12) किला नम्बर 11/2 की 0.0120 हैक्टेयर कमाण्ड पत्थर नम्बर 219/411(4) किला नम्बर 12, 13, 14, 15 की 1.0120 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 1.0240 हैक्टेयर कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम बलजिन्द्रसिंह उर्फ बलवन्तसिंह पुत्र राधासिंह के स्थान पर बलजिन्द्रसिंह पुत्र राधासिंह दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

